

आउटकम बजट 2017-18

विभाग का नाम- राजस्व विभाग

(धनराशि लाख रू.में।)

क्र.	योजना का नाम	आउट ले (लाख रू.में।)		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत				
1	2	3		4	5	6	7
1-	2029-भूराजस्व-001 निदेशन तथा प्रशासन 03-भूमि अध्याप्ति	482.54	-	<p>1-विभिन्न जनपदों की 6 इकाइयों हेतु स्वीकृत 75 पदों के अधिष्ठान का संचालन।</p> <p>2-राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58, 72, 73, 74, 94, 87 का विस्तारीकरण एवं कर्णप्रयाग रेललाईन सहित 2 जलविद्युत परियोजनाओं का कार्य प्रमुख है।</p>	01वर्ष	राज्य में स्थापित बॉधों से बिजली उत्पादन, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं रेल मार्गों सहित अन्य क्षेत्रों में आम जन को सरकार की नीतियों के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराना।	5-10 वर्ष
2-	2029-भूराजस्व-001-निदेशन तथा प्रशा. 05-राजस्व पुलिस का सुद्वरीकरण	20.51	-	<p>1-राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व उप निरीक्षक के स्वीकृत 1216 एवं राजस्व निरीक्षक के स्वीकृत 126 पदों के सापेक्ष राजस्व पुलिस का कार्य कर रहे राजस्व उप निरीक्षकों के पटवारी चौकियों के रखरखाव एवं वाहन आदि पर व्यय।</p>	01वर्ष	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आम जनमानस को शान्ति एवं सुरक्षा प्रदान कर कानून व्यवस्था बनाये रखना।	प्रतिवर्ष
3-	2029-भूराजस्व-101 संग्रहण प्रभार-03 भूराजस्व तकावी, नहर एवं प्रकीर्ण देय।	5121.56	-	<p>1-विभिन्न जनपदों / तहसीलों हेतु स्वीकृत 1157 संग्रह अमीनों,सहा0 बा0 वा0 नवीस एवं अनुसेवकों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का संचालन।</p> <p>2-राज्य की समस्त कृषि भूमि पर लगान देयता की श्रेणी में आने वाले भूमिधरों से निर्धारित लगान सहित अन्य विविध देयों की वसूली का कार्य।</p>	01वर्ष	बकायेदारों से धनराशि वसूल कर राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जाना।	प्रतिवर्ष

4-	2029-भूराजस्व-103 भू-अभिलेख-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0102डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (100% के0स0)	50.00	-	1-केन्द्र द्वारा पोषित उक्त योजना के अर्न्तगत प्रदेश के 02 जनपदों के 25057 भू- नक्शों का डिजिटिजेशन, भू-अभिलेखों के रख रखाव, 20मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना, भूमि की आधुनिक तकनीक से सर्वे एवं समस्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, डाटा डिजिटिजेशन कर राजस्व कार्यालयों से संयोजन एवं भू अभिलेखों के डिजिटल फार्मेट में संरक्षण हेतु विभागीय डाटा सेन्टर की स्थापना की जानी है।	01वर्ष	भू- अभिलेखों का डिजिटिजेशन सर्वे, मार्डन रिकार्ड रूम एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर राजस्व कार्यालयों से संयोजन स्थापित होने से पारदर्शिता एवं आम जन को सुविधा प्रदान करना।	2-3वर्ष
5-	2029-भूराजस्व-103 भू-अभिलेख-04-कृषि गणना। 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 02-कृषि गणना(100% के0स0) (केन्द्रपोषित)	38.61	-	1-16674 राजस्व ग्रामों के अर्न्तगत क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल सहित उपज से संबंधित आंकड़े संकलित कर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना।	01वर्ष	कृषि भूमि से संबंधित आंकड़े भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना।	1-5वर्ष
6-	2029-भूराजस्व-103 भू-अभिलेख-03-जिला अधिष्ठान।	12645.06	-	1-विभिन्न जनपदों /तहसीलों के भूलेख अधिष्ठान एवं अभिलेख इकाईयों में स्वीकृत 3661 पदों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का संचालन। 2-राज्य की समस्त तहसीलों में भूमि संबन्धी अभिलेखों का रख-रखाव सहित भूमि के क्रय विक्रय एवं अन्य कारणों से हुए परिवर्तन को अभिलेखों में दर्ज कर दुरस्त करना।	01वर्ष	काश्तकारों को भूमि से संबंधित खतौनियों की प्रतियों मॉगे जाने पर उपलब्ध कराना एव भूमि के क्रय विक्रय उपरांत योजित वादों (दाखिल-खारिज) का निस्तारण कर न्याय प्रदान करना।	प्रतिवर्ष

7-	2029-भूराजस्व-103 भूअभिलेख-07-रा.पु.भू. प्रशि.केन्द्र ।	587.88	-	<p>1-प्रशिक्षण केन्द्र अल्मोड़ा हेतु स्वीकृत 15 पदों के अधिष्ठान का कार्य ।</p> <p>2-राजस्व विभाग के भूलेख अधिष्ठान से संबंधित समस्त फील्ड कर्मचारियों को भू-अभिलेखों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर प्रशिक्षण देना।(वर्तमान में 480 प्रशिक्षु दि० 01.01.2017 से प्रशिक्षणरत)।</p>	01वर्ष	कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर कार्य में दक्षता बढ़ाना।	प्रतिवर्ष
8-	2052-सचिवालय सेवायें-099-राजस्व परिषद्-02-राजस्व आयुक्त अधि.	349.51	-	<p>1-मुख्यालय में स्वीकृत 78 नियमित कार्मिकों / अधिकारियों सहित संविदा कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों कासंचालन।</p> <p>2-विभागाध्यक्ष के रूप में राजस्व विभाग के समस्त संवर्गों के कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधी कार्यों ,बजट आवंटन सहित अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध योजित वादों की सुनवाई कर नैसर्गिक न्याय प्रदान करना।</p>	01वर्ष	वादकारियों को न्याय प्रदान करना एवं जनपदों, तहसीलों एवं राजस्व ग्रामों के सृजन सहित आम जन को विभागीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना।	प्रतिवर्ष
9-	2053-जिला प्रशासन-093 जिला स्थापना-03कलैक्ट्री स्थापनायें।	12681.63	-	<p>1-विभिन्न जनपदों / तहसीलों में स्वीकृत अधिकारियों / कार्मिकों के 2624 नियमित एवं 30 आउटसोर्स कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का संचालन।</p> <p>2-राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण, जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित कर सरकार की</p>	01वर्ष	दीवानी, फौजदारी वादों का निस्तारण करना एवं शासन की नितियों / योजनाओं को क्रियान्वित कर आम जनता को सुविधा प्रदान करना।	प्रतिवर्ष

				नितियों का क्रियान्वयन करना , दीवानी एवं फौजदारी वादों का निस्तारण कर न्याय प्रदान करना एवं जनपद भ्रमण में आये विशिष्ट, अतिविशिष्ट महानुभावों की आगवानी एवं उचित प्रबंध करना।			
10-	2053-जिलाप्रशासन-101 आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय।	411.01	-	<p>1-मण्डलायुक्त कार्यालयों हेतु स्वीकृत 65 अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य।</p> <p>2-राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णित राजस्व वादों के विरुद्ध योजित वादों का निस्तारण कर न्याय प्रदान करना जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था स्थापित कर सरकार की नितियों को क्रियान्वित करना ,</p>	01वर्ष	राजस्व वादों का निस्तारण करना एवं शासन की नितियों / योजनाओं को क्रियान्वित कर आम जनता को सुविधा प्रदान करना।	प्रतिवर्ष
11	2506-भूमिसुधार-102-चकबन्दी-03-खेतों की चकबन्दी-0302- जिला अधिष्ठान	1073.04	-	<p>1-जनपद उधमसिंहनगर एवं देहरादून इकाई में स्वीकृत 468 पदों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का संचालन।</p> <p>2-उ.प्र.जोत चकबन्दी अधिनियम के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अधीन राज्य के मैदानी क्षेत्रों में हेतु निर्धारित ग्रामों में स्थित काश्तकारों की बिखरी जोतों (कृषि भूमि) को एकत्र कर एक स्थान पर उपलब्ध कराना।</p>	01वर्ष	काश्तकारों के शारीरिक श्रम, समय की बचत सहित फसल उत्पादन/पैदावार में वृद्धि।	प्रतिवर्ष

12	2506-भूमिसुधार-102 -चकबन्दी-03 खेतों की चकबन्दी-0303- पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन-जिला अधिष्ठान	50.02	-	1-राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शासन द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया हेतु निर्धारित ग्रामों में स्थित काश्तकारों की बिखरी जोतों (कृषि भूमि) को एकत्र कर एक स्थान पर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना।	01वर्ष	काश्तकारों के शारिरिक श्रम,समय की बचत सहित फसल उत्पादन / पैदावार में वृद्धि।	1-5वर्ष
13-	4059-60-51-03- तहसीलों के आवासीय /अना. भवनों का निर्माण	-	300	1-लगभग 21 नई एवं पुरानी तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के नवनिर्माण एवं जीर्णोद्धार के चालू कार्यो हेतु।	01वर्ष	तहसील बाजपुर, जैती, काण्डा, धनोल्टी, पौडी, शामा एवं लालकुवों सहित 21 तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का कार्य निर्माणाधीन।	प्रतिवर्ष
14-	4059-60-51-07 कलैक्ट्रेट भवनों का निर्माण	-	200	1-कलैक्ट्रेट भवन पौडी के प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु।	01वर्ष	क्षतिग्रस्त कलैक्ट्रेट भवन नैनीताल एवं पौडी कलैक्ट्रेट का निर्माण।	प्रतिवर्ष
15-	4059-60-51-09 पट/कानूनगो चौकियों का निर्माण।	-	120	1-पटवारी/कानूनगों चौकियों का निर्माण।	01वर्ष	पटवारी चौकियों का नवनिर्माण एवं अनुरक्षण।	प्रतिवर्ष